



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- भाकरासनी
पटवार हल्का :- तनावडा
भू. अभि. नि. :- गुडा विश्वोईयान
तहसील :- लूणी
जिला :- जोधपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 393
खाता संख्या पुराना :- 266

काश्तकार का नाम :-

1. ओमाराम पुत्र हीराराम हिस्सा- 1120/3133 जाति- विश्वोई सा. देह खातेदार
2. बिरवल पुत्र हीराराम हिस्सा- 913/3133 जाति- विश्वोई सा. देह खातेदार
3. भेपाराम पुत्र हीराराम हिस्सा- 540/3133 जाति- विश्वोई सा. देह खातेदार
4. रुक्मादेवी पत्नि हीराराम हिस्सा- 560/3133 जाति- विश्वोई सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के माधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
405/211	1.2679	बारानी।	1.2679	5.01	स्वीकृत नामांतरकरण : 1414 10/08/2024 विभाजन	
कुल खसरे - 1	1.2679		1.2679	5.0100		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

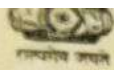
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 12-Aug-2024



सत्य प्रतिलिपि
35 क्रमांक 3.5 दि. 12/8/24

(यशवन्त सिंह)
पटवारी (भू.अ.) तनावडा
तहसील लूणी जिला जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जोन-2)

क्रमांक : LU2012/JOD/20 24-25/102600

दिनांक - 30/10/2024

—: आदेश :—

आवेदक/खातेदार :- भेपाराम, बीरबल, ओमप्रकाश उर्फ ओमाराम पुत्रान हीराराम एवं रुकमा देवी पत्नी हीराराम जाति- बिश्नोई सा.- ग्राम भाकरासनी, लूणी, जिला-जोधपुर।

- (1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि को आवासीय योजना प्रयोजन के लिये उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

क्र. सं.	ग्राम, तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	राजस्व ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी व जिला जोधपुर	भेपाराम, बीरबल, ओमप्रकाश उर्फ ओमाराम पुत्रान हीराराम एवं रुकमा देवी पत्नी हीराराम	405/211	12678.80 वर्गमीटर
कुल				12679 हैक्टेयर

- (2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- (3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय योजना प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- (4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय योजना प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- (5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथा विहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर से आज दिनांक 30/10/2024 को जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त (जोन संख्या-2)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- भाकरासनी
पटवार हल्का :- तनावड़ा
भू.अभि.ति. :- गुडा विन्धोईयान
तहसील :- लूणी
जिला :- जोधपुर

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2074-2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) में म्यादी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 336
खाता संख्या पुराना :- 555

काश्तकार का नाम:-

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृपक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	2.4281	बारानी I	2.4281	9.59	स्वीकृत नामांतरकरण : 1402 19/07/2024सर्मपण	
101	1.2221	बारानी III	1.2221	4.23	स्वीकृत नामांतरकरण : 1403 20/07/2024सर्मपण	
101/1	0.8256	आवासीय कालोनी प्रयोजनार्थ	0.8256	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 1404 20/07/2024सर्मपण	
101/3	1.2221	आवासीय कालोनी प्रयोजनार्थ	1.2221	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 1454 19/02/2025सर्मपण	
101/4	1.2221	आवासीय कालोनी प्रयोजनार्थ	1.2221	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 1473 06/05/2025सर्मपण	
101/5	1.2221	आवासीय कालोनी प्रयोजनार्थ	1.2221	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 1474 25/05/2025सर्मपण	
101/6	0.8256	आवासीय प्रयोजन	0.8256	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 1490 31/07/2025सर्मपण	
101/7	0.1619	बारानी III	0.1619	0.56		
101/8	0.8175	बारानी III	0.8175	2.83		
101/9	0.6556	बारानी III	0.6556	2.27		
102	0.4047	बारानी III	0.4047	1.40		
102/2	0.0809	बारानी III	0.0809	0.28		
102/3	0.3237	बारानी III	0.3237	1.12		
103/1	0.2428	बारानी III	0.2428	0.84		
104	1.5095	आवासीय कालोनी प्रयोजनार्थ	1.5095	0.00		
104/3	1.2950	बारानी III	1.2950	4.48		
105	0.6961	आवासीय	0.6961	0.00		
106	7.5029	गे.मु.आगोर	7.5029	0.00		
109	0.0567	गे.मु.दरड़ा	0.0567	0.00		
115	0.9793	गे.मु.औरण	0.9793	0.00		
119	0.4452	गे.मु.दरड़ा	0.4452	0.00		
119/1	0.1619	गे.मु.दरड़ा	0.1619	0.00		
134	1.8130	बारानी IV	1.8130	3.59		
134/1	0.4047	बारानी IV	0.4047	0.80		



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- भाकरासनी
पटवार हल्का :- तनावडा
भू.अभि.नि. :- गुडा विश्वोदयान
तहसील :- लूणी
जिला :- जोधपुर

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2074-2077 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) मे स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 336
खाता संख्या पुराना :- 555

399/251	1.4528	आवासीय प्रयोजन	1.4528	0.00
405/211	1.2679	आवासीय प्रयोजन	1.2679	0.00
420/55	0.0728	आवासीय प्रयोजन	0.0728	0.00
422/55	0.0728	आवासीय प्रयोजन	0.0728	0.00
424/55	0.1619	आवासीय प्रयोजन	0.1619	0.00
426/55	0.0971	आवासीय प्रयोजन	0.0971	0.00
428/55	0.0809	आवासीय प्रयोजन	0.0809	0.00
430/55	0.0809	आवासीय प्रयोजन	0.0809	0.00
44	0.8256	गे.मु.औरण	0.8256	0.00
46	1.6754	गे.मु.औरण	1.6754	0.00
47	0.8579	गे.मु.गोचर	0.8579	0.00
48	0.4775	गे.मु.दरडा	0.4775	0.00
59/1	0.4128	बारानी I	0.4128	1.63
60	1.1655	बारानी I	1.1655	4.60
65	0.1133	गे.मु.दरडा	0.1133	0.00
66	1.7401	गे.मु.गोचर	1.7401	0.00
70	1.6997	आवासीय कैलोनी प्रयोजन	1.6997	0.00
70/1	1.6187	बारानी IV	1.6187	3.21
82/5	0.9874	बारानी III	0.9874	3.42
83/1	1.3840	बारानी III	1.3840	4.79
83/11	0.5666	आवासीय प्रयोजन	0.5666	0.00
83/9	0.5666	आवासीय प्रयोजन	0.5666	0.00
84	6.4102	बारानी III	6.4102	22.18
85/1	0.8094	बारानी III	0.8094	2.80
85/2	0.8094	बारानी III	0.8094	2.80
85/3	0.4856	आवासीय प्रयोजन	0.4856	0.00
88/1	1.0765	आवासीय	1.0765	0.00
88/4	1.0765	आवासीय	1.0765	0.00
89/2	0.8644	आवासीय प्रयोजन	0.8644	0.00
97/9	0.8094	आवासीय प्रयोजन	0.8094	0.00
99	1.0198	आवासीय प्रयोजन	1.0198	0.00



राजस्थान RAJASTHAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding is being made and executed on this Day of July 2025 at Jodhpur.

BETWEEN

1. **Mr.Om Prakash** s/o Heera Ram R/o Dhatarwalo ki dhani, bhakrasni, District Jodhpur-342013 (hereinafter referred to as the "Landowner"), which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **First Part**,

And

2. **Mr.Birbal** s/o Hira Ram, R/o Dhatarwalo ki dhani, bhakrasni, District Jodhpur-342013 (hereinafter referred to as the "Landowner"), which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Second Part**

ATTESTED

NOTARY JODHPUR
21/7/25

21/7/25

विरबल

21/7/25

Om Prakash

Birbal

21/7/25

0398

21/01/25

... ..

... ..

... ..

... ..

~~...~~

...

21/01/25

...

And

3. **Mr.Bhepa Ram** s/o Heera Ram R/o Khicharo ki dhani, pali road, bhakrasni, District Jodhpur-342013 (hereinafter referred to as the "Landowner"), which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Third Part**

And

4. **Mrs.Rukma** w/o Hira Ram R/o 95, bhakrasni, Luni, sangariya, District Jodhpur-342013 (hereinafter referred to as the "Landowner"), which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Third Part**

Whereas the above referred parties jointly owned a piece of Land "**R.K GREEN CITY**" situated at Khasra No. 405/211 of Village- Bhakrasni, Tehsil – Luni, District- Jodhpur, State-Rajasthan.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. The project "**R.K GREEN CITY**" situated at Khasra No. 405/211 of Village- Bhakrasni, Tehsil – Luni, District- Jodhpur, State-Rajasthan, shall be jointly developed by all the parties.
2. The Marketing and selling of the project shall be carried out by all the parties.
3. That, party to the First Part shall act as a Promoter and remaining parties shall act as the other promoter in the above referred project "**R.K GREEN CITY**".
4. That, party to the First Part shall sign all the documents related to RERA.
5. That, all the Rights and liabilities as imposed by the RERA Act shall be executed jointly by all the parties.

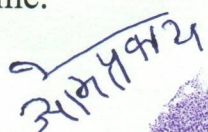
ATTESTED

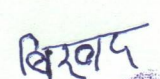
NOTARY, JODHPUR

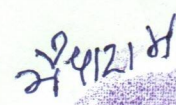
6. That three bank account shall be opened in the name of the party to the first part as promoter as provided in section 4(2)(1)(D) of the RERA Act.
7. All the receipts/losses from the booking and sale of units in the project **"R.K GREEN CITY"** shall be shared between the parties in ratio of their ownership.

	Name of Landowner	% of Ownership
1.	Om Prakash (Landowner and Promoter)	25 %
2.	Bhepa Ram (Landowner and Other Promoter)	25 %
3.	Birbal (Landowner and Other Promoter)	25 %
4.	Rukma (Landowner and Other Promoter)	25 %
TOTAL		100%

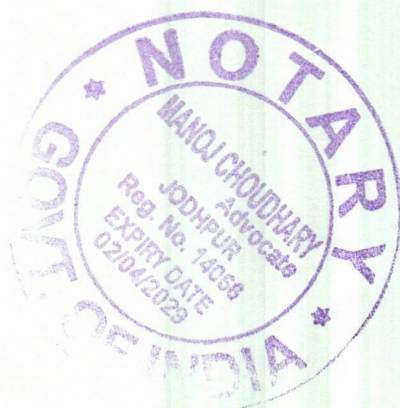
8. That, if any contradiction arises or any loss or damage to any allottee arises in any manner in the future all the parties jointly takes responsibility to compensate for the same.


 (Mr.Om Prakash)


 (Mr.Birbal)


 (Mr.Bhepa Ram)


 (Mrs.Rukma)



ATTESTED

NOTARY, JODHPUR
 21/7/23